

प्रेषक,

मंसो 2 संख्या-(137)/2023

संयुक्त शिक्षा निदेशक
प्रथम मण्डल, मेरठ।

सेवामें,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-3, समुदाय केन्द्र
प्रीत विहार-नई दिल्ली।

पत्रांक:/एन0ओ0सी0/11729

मेरठ दिनांक :- 11-08-2023

विषय:-

SHAHEED DHAN SINGH KOTWAL PUBLIC SCHOOL, NanglaJamalpur,
Baghpat Road, Meerut (UP) 250002 को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शिक्षा निदेशक (मा0) उ.प्र., लखनऊ के पत्रांक सामान्य-1 शिविर/7560-7776/2020-21 दिनांक 22 जनवरी, 2021 के साथ संलग्न माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ के शासना देश संख्या-2144/15-07-2020-1(34)/2020, दिनांक 07 जनवरी, 2021 के द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित माध्यमिक शिक्षा विभाग की सेवा माध्यमिक विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0सी0ई0 से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। जिसके क्रम में **SHAHEED DHAN SINGH KOTWAL PUBLIC SCHOOL, Nangla Jamalpur, Baghpat Road, Meerut (UP) 250002** द्वारा विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र के बिन्दुओं की जाँच जिलाधिकारी, गाजियाबाद एवं मण्डल कार्यालय द्वारा करते हुए आवेदन पत्र ऑनलाइन आयुक्त महोदय मेरठ मण्डल, गाजियाबाद को प्रेषित किया गया। आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा प्रदत्त अनुमति के आलोक में **"SHAHEED DHAN SINGH KOTWAL PUBLIC SCHOOL, NanglaJamalpur, Baghpat Road, Meerut (UP) 250002"** को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

क-विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख-विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग-विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित

रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

घ-संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/ काउंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

ड-संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

च-कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

छ-राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

ज-विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई

जायेगी।

झ-विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

ञ-उपर्युक्त क्रम क से झ में कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं दिया जायेगा।

ट-उपर्युक्तक्रम क से ज तक के प्रतिबन्धों को सोसायटी बाइलॉज में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

ठ-संस्था को उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व से मान्यता प्राप्त होने के संबंध में यदि कोई तथ्य छिपाया गया हो तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

ड-विद्यालय द्वारा प्रस्तावित भूमि/भवन में ही विद्यालय संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, अन्यत्र किसी भी भूमि/भवन में संचालित होने वाले विद्यालय अथवा शाखा हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र अमान्य होगा।

ढ-अग्नि सुरक्षा सम्बन्धित मानकों का पालन करते हुए सम्बन्धित विभाग से प्रत्येक वर्ष जांच/ निरीक्षण कराया जायेगा और यथा नियम प्रमाण पत्रों को नवीनीकरण भी कराया जायेगा।

ण-भविष्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विभाग द्वारा 'अलाभित समूह' और 'दुर्बल वर्ग' के चयनित किये गये बच्चों का धारा (1)(ग) के अन्तर्गत प्रवेश लिया जाना बाध्यकारी होगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है अथवा कोई तथ्य छुपाया गया संज्ञान में आता है, तो मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा।

भवदीय

(ओंकार शक्ल)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या-11729

/2023 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1-आयुक्त (अध्यक्ष-मण्डलीय समिति) मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा लिये निर्णय के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-विशेष सचिव, उत्तरप्रदेश शासन, माध्यमिकशिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ।

3-जिलाधिकारी (सदस्य, मण्डलीय समिति) मेरठ।

4-शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, 18 पार्क रोड, लखनऊ।

5-जिला विद्यालय निरीक्षक (सदस्य-मण्डलीय समिति) मेरठ।

6-प्रबन्धक, **SHAHEED DHAN SINGH KOTWAL PUBLIC SCHOOL, Nangla Jamalpur, Baghpat Road, Meerut (UP) 250002**

7-निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।

8-गार्डफाईल।

 11/08/2023

(ओंकार शक्ल)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथममण्डल, मेरठ।